

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....मधेपुरा....., सं0.....138....., सन्2024.....

केस का प्रकार.....आर्बिट्रेशन.....(विजय शंकर झा बनाम राज्य).....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
08.07.2026	राज्य उपस्थित । आवेदक अनुपस्थित हैं । आवेदक विगत 04 (चार) तिथियों से सुनवाई में अनुपस्थित हैं । आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया । विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में यह आर्बिट्रेशन वाद खारिज करने योग्य है । दिनांक-03.06.2026 को पारित आदेश के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है । अभिलेख का अवलोकन किया । दिनांक-03.06.2026 को पारित आदेश के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजें ।  आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

